

MADHUPUR NAGAR PARISHAD

इमरखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 636590210821054617

Date : 21-08-2021

पत्रावी : 2 2021-2022

श्री/श्रीमती/सुश्री PANKAJ KUMAR PANDEY AND NANDANI PANDEY C/O BRINDABAN PANDEY, W/O -PANKAJ KUMAR PANDEY,
मोहल्ला KALIPUR TOWN MADHUPUR
DEOGHAR (JH) . 815353
9608477159

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0040000162000M0 वार्ड सं. 4 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	101.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	101.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		101.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, ssda.harkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना जमा कर निशम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पावे।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण प्रति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय प्रति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकवाया जाय, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थायीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य मालत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा संघटित इस सम्पत्ति कर इन इमरखण्डियों को कोई कागज़ी हैतियत प्रदान नहीं करता है और ध्यान न ही अपने मतिका / दखलकार को कोई कागज़ी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होनिंग नं० को का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant